राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 821वी बैठक दिनांक 14.12.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 821वीं बैठक दिनांक 14.12.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9441/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी	Revoke
2.	10406/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
3.	10558/2023	8(a)	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
4.	8881/2021	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
5.	10381/2023	1(a)	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	For Delist	Delisted
6.	7547/2020	1(a)	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
7.	10083/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी	यथावत
8.	**Compliance of order in execution application no. 07/2023(CZ) titled as Dharmendra Gayakwad Vs. MPIDC Ltd. & Ors. Related to Original Application No.22/2022(CZ)**				
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
9.	8834/2021		बायोमेडिकल बेस्ट	गैप एनालिसिस रिपोर्ट	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

1. प्रकरण क्र. 9441/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष शर्मा आत्मज श्री राजमणी शर्मा, निवासी – ग्राम भलुआ, तहसील कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4241 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224/1ख/1, 224/1ख/3, 224/1ख/4, 224/1ख/6, 224/1ख/7, 224/1ख/11 रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम रामनई, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उक्त प्रकरण में SEAC की 627वी बैठक दिनांक 03.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए SEIAA की 777वी बैठक दिनांक 28.03.2023 में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसके परिपालन में दिनांक 06.04.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

माननीय एनजीटी (CZ) भोपाल द्वारा ओ.ए. नम्बर 61/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2023 के पैरा–2 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित :–

" 2. Further, it was noted that the mining lease area of 5 acres under the purview of Shri SantoshSharma was valid upto 31.05.2015. Further, fresh lease was granted for khasra nos. 224/1(kha)1, 224/1(kha)3, 224/1(kha)4, 224/1(kha)6, 224/1(kha)7 and 224/1(kha)11 rakwa area 01.00 hectare by Mining Department, Distt. Rewa vide letter dated 16.05.2023from 16.05.2023 for a period of 10 years. However, no bhu pravesh was accorded to Shri Santosh Sharma. Thus, there is no operational mine under the direct ownership of Shri Santosh Sharma for the period between 01.06.2015 and 04.07.2023 (i.e.. till the date ofsealing of stone crusher). Therefore, there is ample scope for Shri Santosh Sharma to illegally mine the adjoining 1 ha lease area during the said period. However, Environment Clearance for the 1 ha lease was obtained on 16.04.2023 despite the illegal mining noted by the SEAC in the 627th meeting on 03.03.2023. In view of the observations noted above, it appears that the instant case of 1 ha mine operation actually falls under the violation category of new projects where operations have commenced without ECTherefore, the EC granted by SEIAA vide letter dated 16.04.2023 needs to be revoked and the case may be considered under violation category as per MoEF&CC's OM dated 7th July. 2021 (Copy enclosed as Annexure-27) for imposing penalty and calculation of damage assessment as per the penal provisions reproduced below:

"1%the EIA/EMP report +0.25% of the total turrover during the period of violation"

This penalty shall be in addition to the liability for carryng out various remedial measures, which shall be worked out based on the damage assessment for quantifying the environmental damage caused due to authorized project activity as per the appraisal process mentioned at Step 3 of the OM dated 07-07-2021.

In complaicne of the said OM, the quantification of the liability as per damage assessment needs to be recommended by the Expert Appraisal Committee and finalized by the requlatory authority concerned, i.e. MP SIAA. Bases on the rcommedndatin of the MP SEIAA/SEAC, a bank gurantee (based on the outcome of damage assessment) needs to be submitted by the project proponent to MPPCB in accordance with the SOP of MoEF&CC for violatin cases dated 21-07-2021.

प्राधिकरण द्वारा माननीय एनजीटी (CZ) द्वारा ओ.ए. नम्बर 61/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.08. 2023 को मान्य करते हुए विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 06.04.2023 को Revoke किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि Violation श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन करें। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 10604/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक सिंह ठाकुर आत्मज श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी– ग्राम बामोरा, होटल दीपाली, जबलपुर रोड़, जिला सागर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9756 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 385/1, ग्राम बीकोरकलां, तहसील मालथौन, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 679 वी बैठक दिनांक 14.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई. आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**	**(अनिल कुमार शर्मा)** **सदस्य**	**(अरूण कुमार भट्ट)** **अध्यक्ष**

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XX. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व से खुदी हुई प्रस्तावित खदान के बारे में विस्तृत जानकारी ई.आई.ए. प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. **Case No 10558/2023:**Environment Clearance for Construction of Integrated Township-" Omaxe City-II (Mangliya)" in an area of 35.776 ha. at (Khasra No. 205, 307/1/1 GH, 209, 310/2, 310/3/1 K, 311/1, 311/2/K, 219, 321, 222, 223, 224, 227/1, 227/2) Village-Manglya, Tehsil Sawer, District-Indore, (MP) by M/s OMAXE LIMITED through Shri Sushant Lambhate, Suprintendent Authorized Signatory,201,FF-58, Orbit Mall, A.B. Road District-Indore (MP)- 452001

1. उक्त प्रकरण खसरा नंबर 205, 307/1/1 GH, 209, 310/2, 310/3/1 K, 311/1, 311/2/K, 219, 321, 222, 223, 224, 227/1, 227/2, ग्राम–मांगल्या, तहसील सांवेर, जिला–इंदौर (म.प्र.) में टाउनशिप निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लघन के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्र – 35.7760 ha.? तथा कुल निर्मित क्षेत्र– 37538.0 वर्गमीटर है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की 690वीं दिनांक 17.10.2023 बैठक में प्रस्तुति के दौरान सूचित किया गया है कि कुल कार्य का 60 प्रतिशत कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना साइट पर किया गया है, इसलिए ईआईए अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत् विचाराधीन है।
4. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 690वीं दिनांक 17.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 57 से 59 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

- परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैद्यानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।
- साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
- परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निमार्ण न करे। चल रहे समस्त निमार्ण कार्य तत्काल बंद करे।
- साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैद्यानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लघंन की पुर्नरावृत्ति नहीं करेगा

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/सलाहकार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। साथ ही इनके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये उपचार योजना प्रस्तावित करेगा।
- प्रतिवेदन में निर्मित भवन का खुला स्थान (MOS) Front, Side & Back MOS की वास्तविक माप कार्य स्थल पर क्या है उसे मानचित्र में नगर निगम से प्रमाणित कर संलग्न करेगा। साथ ही नगर निगम से भवन निर्माण के पूर्व ली गई भवन अनुज्ञा एवं मानचित्र, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, से स्वीकृत लेआउट एवं पत्र का पठनीय मानचित्र संलग्न करेगा।
- परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।
- परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिकतम सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने की प्रयास का उल्लेख करे।
- भविष्य में विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए परियोजना स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित ईआईए में इस बिंदु पर विशेष रूप से उल्लेख करे।
- परियोजना प्रस्तावक स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचयन की क्षमता और संचयन की जाने वाली मात्रा के संबंध में गणना ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे।
- यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो 50 मीटर जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर कोई विकास/निर्माण की अनुमति नहीं होगी एवं यदि यह वेटलैंड्स के निकट है तो वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017) को लागू करने के लिए दिशा निर्देश का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
- परियोजना में प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत (वर्गमीटर) का निर्माण परियोजना स्थल पर हो चुका है, एवं परियोजना प्रस्तावक का इस परियोजना में वित्तीय वर्ष बार टर्नओवर भी EIA पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में स्पष्ट रुप से दिया जाये।
- परियोजना आरंभ करने की तिथि क्या है, वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत कितने आवास निर्मित किये जा चुके हैं का विवरण EIA पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में स्पष्ट रुप से दिया जाये।
- भारत सरकार द्वारा जारी SOP दिनांक 07.07.2021 एवं 28.01.2022 अनुसार परियोजना में परियोजना आरंभ से आवेदन दिनांक तक योजना कियान्वयन पर विभिन्न मदों पर हुए व्यय का विवरण, M/s OMAXE LIMITED द्वारा प्रस्तुत इनकम टैक्स रिटर्न एवं बैलेंसशीट की प्रतियां तथा चार्टड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित व्यय का प्रमाण पत्र ईआईए के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न करें।

4. प्रकरण क्र. 8881/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार राजपूत, आत्मज श्री रामेश्वर राजपूत निवासी वार्ड नं. 40, सीताराम कॉलोनी, जिला छतरपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35000 घन.मी. प्रतिवर्ष, रकबा 4.708 हेक्टेयर, खसरा 189/1 ग्राम गंजसिजारी, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 693वीं बैठक दिनांक 20.10.2023 में उक्त प्रकरण में **निम्नानुसार निर्णय लिया गया......**

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

प्रकरण सेक की 693वीं बैठक दिनांक 20/10/2023 सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुऐ। प्रकरण पुनः 680वीं बैठक दिनांक 15/09/23 को सूचीबद्ध किया गया किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित नहीं रहने के कारण डिलिस्ट करने की अनुशंसा की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 693वीं बैठक दिनांक 20.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 10381/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स फारेस्टा इन्वायरोटेक प्रा.लि., संचालक श्री संतुलाल सैनी, निवासी– 436, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रानिक मार्केट, रिद्धि सिद्धि सर्किल के पास गोपालपुरा बायपास, जयपुर (राजस्थान) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 80000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 80000 घन.मी. प्रतिवर्ष, रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा 455, ग्राम तालगांव, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 693वीं बैठक दिनांक 20.10.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया......

प्रकरण सेक की 693वीं बैठक दिनांक 20/10/2023 एवं 674वीं बैठक दिनांक 02/9/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध किया गया था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि 02 अवसर देने के बाद भी परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा की जावे ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 693वीं बैठक दिनांक 20.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 7547/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरू सीमेंट्स प्रा0लि0, निदेशक श्री राजेश बंसल, निवासी– 601/1, ऐरीन हाइट्स, स्कीम नं0 54, पीयू 3, सी–21, मॉल के सामने ए.बी. रोड़ इंदौर (म0प्र0) द्वारा चूनापत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3,40,191 टीपीए रकबा 44.465 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 398/1, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 411/1, 414/2, 415/2, 419, 422, 423, 426, 429, 430, 432, 433, 434, 436, 438, 439, 440, 441, 445, 448, 449, 452, 454, 456, 457, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466/1, 466/2, 474, 476, 485, 486, 487, ग्राम रोड़दा, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 692वी बैठक दिनांक 19.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 817वीं बैठक दिनांक 10.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खदान निजी भूमि पर स्वीकृत है जिसका भू–स्वामी भिलाला जनजाति तथा नर्मदा विकास प्राधिकरण है। अतः प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं भू–स्वामी कलेक्टर, धार के समक्ष उपस्थिति होकर भू–स्वामी की सहमति को कलेक्टर मण्डला से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें एवं नर्मदा विकास

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

*प्राधिकरण से खनन कार्य हेतु अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24.011.2023 को उपरोक्त जानकारी के संबंध में भू–सहमति के दस्तावेज एवं आवेदन प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 692वी बैठक दिनांक 19.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू–दस्तावेजों के अनुसार खदान का भू–स्वामित्व अनुसूचित जनजाति का है। अतः जिला खनिज अधिकारी उक्त खदान में खनन संक्रिया आरंभ करवाये जाने के पूर्व जिला कलेक्टर के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं भू–स्वामी की उपस्थिति में भू–स्वामी द्वारा प्रदत्त सहमति/अनापत्ति का अभिप्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करवाया जाये एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ के पूर्व नर्मदा विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त की जायेगी जिसकी एक प्रति SEIAA कार्यालय को भी प्रदान की जायेगी। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 160 वृक्षों में से काटे जाने वाले 100 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 1000 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें एवं खदान क्षेत्र में बचे शेष वृक्षों का भी संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं आदि विकसित करने** के कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरू सीमेंट्स **प्रा0लि0, निदेशक श्री राजेश बंसल, निवासी– 601/1, ऐरीन हाइट्स, स्कीम नं0 54, पीयू 3, सी–21, मॉल के सामने ए.बी. रोड़ इंदौर (म0प्र0) द्वारा चूनापत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3,40,191 टीपीए रकबा 44.465 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 398/1, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 411/1, 414/2, 415/2, 419, 422, 423, 426, 429, 430, 432, 433, 434, 436, 438, 439, 440, 441, 445, 448, 449, 452, 454, 456, 457, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466/1, 466/2, 474, 476, 485, 486, 487, ग्राम रोड़दा, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। म.प्र. खनिज साधन विभाग के आदेश** क्र. एफ 3–22/2019/12/1 दिनांक 15.01.2021 के अनुसार **50 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है,** अतः भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

7. प्रकरण क्र. 10083/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सविकृश मिनरल्स, प्रोपराइटर श्री अमृतांश दुबे, निवासी 874, शास्त्री नगर, एच–1, बेनवाली के पास, त्रिपुर सुंदरी वार्ड, जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32259 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हे0, खसरा क्रमांक 105/1, 105/2, 105/3, 106 ग्राम घुघरा, तहसील शाहपुर, जिला जबलपुर (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र. 2 के संबंध में श्री संकेत गुप्ता अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन दिनांक 01.12.2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी चाही गई है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा वांछित चाही गई जानकारी / दस्तावेज प्रदाय करने हेतु लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा निराकृत किया जाये।

8. Compliance of order in execution application no. 07/2023(CZ) titled as Dharmendra Gayakwad Vs. MPIDC Ltd. & Ors. Related to Original Application No.22/2022(CZ)

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उक्त सम्बंधित प्रकरण SEIAA द्वारा प्रकरण क्र. 8755/2021 जे.आर.आर. वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि., एवं VNS सोलूशन्स प्रा. लि., को एम.आई.डी.सी. मालनपुर, घिरोंगी, जिला भिंड (म.प्र.) में प्रस्तावित कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (CBWTF), के स्थापना हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा दिनांक 13.10.23 **को पारित आदेशानुसार** मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त गैप एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार दोनों प्रकरणों पर पुनः विचार करते हुए Action taken रिपोर्ट **माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण** के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

उक्त आदेश के परिपालन में SEIAA की 816 बैठक दिनांक 09.11.23 SEIAA **द्वारा लिए गए निर्णयानुसार MPPCB से** प्राप्त gap analysis रिपोर्ट **अनुशंसा हेतु** SEAC **को पत्र दिनांक 28.11.23 के माध्यम से प्रेषित किया गया।** SEAC से अनुशंसा अपेक्षित है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण में प्रकरण की सुनवाई 19.12.23 को नियत है अतः SEAC द्वारा प्रकरण पर शीघ्र विचार कर की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के समक्ष रिपोर्ट नियत समय में प्रस्तुत की जा सके।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

9. **Case No 8834/2021:** Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village - Antri, Tehsil - Chinor, Dist. Gwalior, MPM/s Devis Surgico, 3, Giriraj Market, Lohiya Bazar, Laskar, Dist. Gwalior, MP - 474009, Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.

   1. MPSEIAA द्वारा उक्त कॉमन बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा इकाई ग्राम–अंतरी, तहसील–चीनोर जिला. ग्वालियर, म.प्र. को 100 किलोग्राम प्रति घंटे से 350 किलोग्राम प्रति घंटे (250 किलोग्राम प्रति घंटे की रोटरी भट्टी के अलावा) क्षमता विस्तार के लिए पत्र क्र 2850 दिनांक 17.01.22 को ToR जारी किया गया था।
   2. उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा SEAC के अनुशंसा उपरांत टी ओ आर पत्र दिनांक 17.01.22 के माध्यम से एवं पुनः संशोधित टी ओ आर पत्र दिनांक 17.10.23 के माध्यम से जारी किया गया है।
   3. इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक 13.12.23 के माध्यम से सूचित किया गया है की उक्त प्रकरण में टी ओ आर एवं पुनः संशोधित टी ओ आर गैप एनालिसिस रिपोर्ट के पूर्व जारी हुआ है, चूँकि अब म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार गैप एनालिसिस रिपोर्ट में दी गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर पुनः विचार किया जाये।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को पुनः विचार हेतु SEAC प्रेषित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष